संख्या-24/2021/341/सैंतीस-2-2021-1(29)/2018

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
फिरोजाबाद।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-01 मार्च, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-398/सा0-1/एक्स-120(187)/पालीक्लीनिक-जि.यो./2020-21, दिनांक-11.02.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ग्रामसभा-मदावली, विकासखण्ड-टूण्डला, तहसील-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद में पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक के निर्माण हेतु रू0-116.61 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना आयोग-2 के शासनादेश संख्या-9/2/35-आ-2/2019-16, दिनांक-28.12.2020 द्वारा निर्धारित जनपदवार/योजनावार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार व कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22.03.2019 की व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

9. प्रश्नगत पालीक्लीनिक हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित की जायेगी।
10. प्रश्नगत कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं तथा पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य हेतु राज्य सरकार व किसी अन्य स्रोत से कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, इसको सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
12. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-217/दस-2021, दिनांक-24.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-24/2021/341(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/श्रम अनुभाग-2 ।
6- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2021/341/सैंतीस-2-2021-1(29)/2018

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
फिरोजाबाद।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-01 मार्च, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-398/सा0-1/एक्स-120(187)/पालीक्लीनिक-जि.यो./2020-21, दिनांक-11.02.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ग्रामसभा-मदावली, विकासखण्ड-टूण्डला, तहसील-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद में पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक के निर्माण हेतु रू0-116.61 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना आयोग-2 के शासनादेश संख्या-9/2/35-आ-2/2019-16, दिनांक-28.12.2020 द्वारा निर्धारित जनपदवार/योजनावार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार व कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22.03.2019 की व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

9. प्रश्नगत पालीक्लीनिक हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित की जायेगी।
10. प्रश्नगत कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं तथा पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य हेतु राज्य सरकार व किसी अन्य स्रोत से कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, इसको सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
12. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-217/दस-2021, दिनांक-24.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-24/2021/341(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/श्रम अनुभाग-2 ।
6- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2021/341/सैंतीस-2-2021-1(29)/2018

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
फिरोजाबाद।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-01 मार्च, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-398/सा0-1/एक्स-120(187)/पालीक्लीनिक-जि.यो./2020-21, दिनांक-11.02.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ग्रामसभा-मदावली, विकासखण्ड-टूण्डला, तहसील-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद में पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक के निर्माण हेतु रू0-116.61 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना आयोग-2 के शासनादेश संख्या-9/2/35-आ-2/2019-16, दिनांक-28.12.2020 द्वारा निर्धारित जनपदवार/योजनावार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार व कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22.03.2019 की व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

9. प्रश्नगत पालीक्लीनिक हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित की जायेगी।
10. प्रश्नगत कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं तथा पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य हेतु राज्य सरकार व किसी अन्य स्रोत से कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, इसको सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
12. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-217/दस-2021, दिनांक-24.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-24/2021/341(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/श्रम अनुभाग-2 ।
6- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2021/341/सैंतीस-2-2021-1(29)/2018

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
फिरोजाबाद।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-01 मार्च, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-398/सा0-1/एक्स-120(187)/पालीक्लीनिक-जि.यो./2020-21, दिनांक-11.02.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ग्रामसभा-मदावली, विकासखण्ड-टूण्डला, तहसील-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद में पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक के निर्माण हेतु रू0-116.61 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना आयोग-2 के शासनादेश संख्या-9/2/35-आ-2/2019-16, दिनांक-28.12.2020 द्वारा निर्धारित जनपदवार/योजनावार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार व कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22.03.2019 की व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

9. प्रश्नगत पालीक्लीनिक हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित की जायेगी।
10. प्रश्नगत कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं तथा पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य हेतु राज्य सरकार व किसी अन्य स्रोत से कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, इसको सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
12. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-217/दस-2021, दिनांक-24.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-24/2021/341(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/श्रम अनुभाग-2 ।
6- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2021/341/सैंतीस-2-2021-1(29)/2018

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
फिरोजाबाद।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-01 मार्च, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-398/सा0-1/एक्स-120(187)/पालीक्लीनिक-जि.यो./2020-21, दिनांक-11.02.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ग्रामसभा-मदावली, विकासखण्ड-टूण्डला, तहसील-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद में पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक के निर्माण हेतु रू0-116.61 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना आयोग-2 के शासनादेश संख्या-9/2/35-आ-2/2019-16, दिनांक-28.12.2020 द्वारा निर्धारित जनपदवार/योजनावार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार व कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22.03.2019 की व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

9. प्रश्नगत पालीक्लीनिक हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित की जायेगी।
10. प्रश्नगत कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं तथा पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य हेतु राज्य सरकार व किसी अन्य स्रोत से कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, इसको सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
12. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-217/दस-2021, दिनांक-24.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-24/2021/341(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/श्रम अनुभाग-2 ।
6- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2021/341/सैंतीस-2-2021-1(29)/2018

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
फिरोजाबाद।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-01 मार्च, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-398/सा0-1/एक्स-120(187)/पालीक्लीनिक-जि.यो./2020-21, दिनांक-11.02.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ग्रामसभा-मदावली, विकासखण्ड-टूण्डला, तहसील-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद में पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक के निर्माण हेतु रू0-116.61 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना आयोग-2 के शासनादेश संख्या-9/2/35-आ-2/2019-16, दिनांक-28.12.2020 द्वारा निर्धारित जनपदवार/योजनावार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार व कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22.03.2019 की व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

9. प्रश्नगत पालीक्लीनिक हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित की जायेगी।
10. प्रश्नगत कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं तथा पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य हेतु राज्य सरकार व किसी अन्य स्रोत से कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, इसको सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
12. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-217/दस-2021, दिनांक-24.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-24/2021/341(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/श्रम अनुभाग-2 ।
6- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2021/341/सैंतीस-2-2021-1(29)/2018

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
फिरोजाबाद।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-01 मार्च, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-398/सा0-1/एक्स-120(187)/पालीक्लीनिक-जि.यो./2020-21, दिनांक-11.02.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ग्रामसभा-मदावली, विकासखण्ड-टूण्डला, तहसील-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद में पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक के निर्माण हेतु रू0-116.61 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना आयोग-2 के शासनादेश संख्या-9/2/35-आ-2/2019-16, दिनांक-28.12.2020 द्वारा निर्धारित जनपदवार/योजनावार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार व कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22.03.2019 की व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

9. प्रश्नगत पालीक्लीनिक हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित की जायेगी।
10. प्रश्नगत कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं तथा पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य हेतु राज्य सरकार व किसी अन्य स्रोत से कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, इसको सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
12. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-217/दस-2021, दिनांक-24.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-24/2021/341(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/श्रम अनुभाग-2 ।
6- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2021/341/सैंतीस-2-2021-1(29)/2018

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
फिरोजाबाद।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-01 मार्च, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-398/सा0-1/एक्स-120(187)/पालीक्लीनिक-जि.यो./2020-21, दिनांक-11.02.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ग्रामसभा-मदावली, विकासखण्ड-टूण्डला, तहसील-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद में पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक के निर्माण हेतु रू0-116.61 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना आयोग-2 के शासनादेश संख्या-9/2/35-आ-2/2019-16, दिनांक-28.12.2020 द्वारा निर्धारित जनपदवार/योजनावार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार व कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22.03.2019 की व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

9. प्रश्नगत पालीक्लीनिक हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित की जायेगी।
10. प्रश्नगत कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं तथा पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य हेतु राज्य सरकार व किसी अन्य स्रोत से कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, इसको सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
12. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-217/दस-2021, दिनांक-24.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-24/2021/341(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/श्रम अनुभाग-2 ।
6- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2021/341/सैंतीस-2-2021-1(29)/2018

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
फिरोजाबाद।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-01 मार्च, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-398/सा0-1/एक्स-120(187)/पालीक्लीनिक-जि.यो./2020-21, दिनांक-11.02.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ग्रामसभा-मदावली, विकासखण्ड-टूण्डला, तहसील-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद में पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक के निर्माण हेतु रू0-116.61 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना आयोग-2 के शासनादेश संख्या-9/2/35-आ-2/2019-16, दिनांक-28.12.2020 द्वारा निर्धारित जनपदवार/योजनावार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार व कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22.03.2019 की व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

9. प्रश्नगत पालीक्लीनिक हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित की जायेगी।
10. प्रश्नगत कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं तथा पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य हेतु राज्य सरकार व किसी अन्य स्रोत से कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, इसको सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
12. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-217/दस-2021, दिनांक-24.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-24/2021/341(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/श्रम अनुभाग-2 ।
6- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2021/341/सैंतीस-2-2021-1(29)/2018

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
फिरोजाबाद।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-01 मार्च, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-398/सा0-1/एक्स-120(187)/पालीक्लीनिक-जि.यो./2020-21, दिनांक-11.02.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ग्रामसभा-मदावली, विकासखण्ड-टूण्डला, तहसील-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद में पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक के निर्माण हेतु रू0-116.61 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना आयोग-2 के शासनादेश संख्या-9/2/35-आ-2/2019-16, दिनांक-28.12.2020 द्वारा निर्धारित जनपदवार/योजनावार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार व कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22.03.2019 की व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

9. प्रश्नगत पालीक्लीनिक हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित की जायेगी।
10. प्रश्नगत कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं तथा पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य हेतु राज्य सरकार व किसी अन्य स्रोत से कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, इसको सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
12. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-217/दस-2021, दिनांक-24.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-24/2021/341(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/श्रम अनुभाग-2 ।
6- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2021/341/सैंतीस-2-2021-1(29)/2018

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
फिरोजाबाद।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-01 मार्च, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-398/सा0-1/एक्स-120(187)/पालीक्लीनिक-जि.यो./2020-21, दिनांक-11.02.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ग्रामसभा-मदावली, विकासखण्ड-टूण्डला, तहसील-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद में पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक के निर्माण हेतु रू0-116.61 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना आयोग-2 के शासनादेश संख्या-9/2/35-आ-2/2019-16, दिनांक-28.12.2020 द्वारा निर्धारित जनपदवार/योजनावार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार व कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22.03.2019 की व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

9. प्रश्नगत पालीक्लीनिक हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित की जायेगी।
10. प्रश्नगत कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं तथा पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य हेतु राज्य सरकार व किसी अन्य स्रोत से कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, इसको सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
12. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-217/दस-2021, दिनांक-24.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-24/2021/341(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/श्रम अनुभाग-2 ।
6- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2021/341/सैंतीस-2-2021-1(29)/2018

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
फिरोजाबाद।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-01 मार्च, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-398/सा0-1/एक्स-120(187)/पालीक्लीनिक-जि.यो./2020-21, दिनांक-11.02.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ग्रामसभा-मदावली, विकासखण्ड-टूण्डला, तहसील-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद में पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक के निर्माण हेतु रू0-116.61 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना आयोग-2 के शासनादेश संख्या-9/2/35-आ-2/2019-16, दिनांक-28.12.2020 द्वारा निर्धारित जनपदवार/योजनावार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार व कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22.03.2019 की व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

9. प्रश्नगत पालीक्लीनिक हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित की जायेगी।
10. प्रश्नगत कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं तथा पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य हेतु राज्य सरकार व किसी अन्य स्रोत से कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, इसको सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
12. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-217/दस-2021, दिनांक-24.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-24/2021/341(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/श्रम अनुभाग-2 ।
6- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-24/2021/341/सैंतीस-2-2021-1(29)/2018

प्रेषक,

मंजू लता,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशुचिकित्साधिकारी,
फिरोजाबाद।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-01 मार्च, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-398/सा0-1/एक्स-120(187)/पालीक्लीनिक-जि.यो./2020-21, दिनांक-11.02.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष ग्रामसभा-मदावली, विकासखण्ड-टूण्डला, तहसील-टूण्डला, जनपद-फिरोजाबाद में पशुचिकित्सा पालीक्लीनिक के निर्माण हेतु रू0-116.61 लाख (रूपये एक करोड़ सोलह लाख इकसठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना आयोग-2 के शासनादेश संख्या-9/2/35-आ-2/2019-16, दिनांक-28.12.2020 द्वारा निर्धारित जनपदवार/योजनावार परिव्यय की सीमान्तर्गत ही किया जायेगा।
2. प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में क्रय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।
3. स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा जिसके लिए धनराशि वस्तुतः स्वीकृत की जा रही है।
5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय निर्माण संबंधी संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्थानुसार/निर्धारित मानकों के अधीन किया जायेगा।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को आवश्यकतानुसार व कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-22.03.2019 की व्यवस्थानुसार उपलब्ध करायी जायेगी।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टयों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा। निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुसार हो तथा उसकी गुणवत्ता उत्कृष्ट कोटि की हो, इसकी पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों का समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण/अनुश्रवण कर कार्य की गुणवत्ता एवं कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण हो, यह सुनिश्चित कराये जाने का

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तरदायित्व सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी/निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।

9. प्रश्नगत पालीक्लीनिक हेतु निर्विवाद भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ही स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित की जायेगी।
10. प्रश्नगत कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉं तथा पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जाय।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि से कराये जाने वाले कार्य हेतु राज्य सरकार व किसी अन्य स्रोत से कोई धनराशि पूर्व में स्वीकृत नहीं की गयी है और न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, इसको सुनिश्चित करने का दायित्व निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 का होगा।
12. प्रायोजना में सम्मिलित उपकरणों आदि का क्रय सुसंगत क्रय नियमों/स्टोर पर्चेज रूल्स/जेम पोर्टल के अन्तर्गत/माध्यम से किया जायेगा।
13. कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सुसंगत वित्तीय नियमानुसार अनुमोदित सीमा तक ही सेन्टेज चार्ज लिया जायेगा। आगणन में वर्णित 01 प्रतिशत लेबर सेस की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि उक्त धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक-24.03.2020, 07.04.2020, 11.04.2020 एवं 18.05.2020 में दिये गये निर्देशों तथा शासनादेश दिनांक-06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-15 के अधीन लेखाशीर्षक-4403-पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय-101-पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य-13-पशु चिकित्सा पालीक्लीनिक की स्थापना (जि.यो.)-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-1-217/दस-2021, दिनांक-24.02.2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

(मंजू लता)
विशेष सचिव।

<u>प्र0सं0-24/2021/341(1)/सैंतीस-2-2021- तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)/(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास/वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद एवं मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1/नियोजन अनु0-3/श्रम अनुभाग-2 ।
6- सम्बन्धित कार्यदायी संस्था/गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in